न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :210 / 2024(जी.सी.एम.एस. 2024 / 336)

वादीगण	बनाम प्रतिवादीगण
1. रामकिशन पुत्र मनीराम जाति कुम्हार निवासी फूसेवाला तहसील श्रीकरणपुर वर्तमान निवासी 149 पी ब्लॉक श्रीगंगानगर।	1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:– 25.10.2024

उपस्थितः श्री गौरव बिश्नोई अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

—निर्णय— **दिनांक : 11.09.2025**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 1 एम, पटवार हल्का फूसेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 71/64 के मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 1 व 2 की 18-18 बिस्वा नहरी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त खाता की सम्पूर्ण भूमि वादी को अपने पिता से उत्तराधिकारी नाते मिली थी। सम्वत 2004 में उक्त दोनों किलों की 20-20 बिस्वा नहरी कृषि भूमि राजस्व अभिलेखों में अंकित थी। इसके पश्चात् चक की कृषि सैटलमेंट विभाग द्वारा सैटलमेंट करने के उपरांत सम्वत 2027 ता 2036 के राजस्व अभिलेख जमाबंदी में उक्त किला नम्बर 1 व 2 की केवल 18-18 बिस्वा नहरी कृषि भूमि अंकित है, शेष 2-2 बिस्वा नहरी भूमि का कोई विवरण नहीं है, जो सहवन से कृषि भूमि का सैटलमेंट करते समय सैटलमेंट विभाग द्वारा राजस्व अभिलेखों में अंकित करना रह गया, जिसका वादी को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेखों में अंकित किया जाना न्यायोचित है, उक्त दोनों बीघों के 4 बिस्वों पर वादी का कब्जा काश्त है। उक्त तथ्य का ज्ञान दिनांक 15.05.2024 को पटवारी हल्का द्वारा श्रीमान् न्यायालय में लंबित वाद संख्या 84/2021 शीर्षक रामकिशन बनाम महेन्द्र आदि में विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय हुआ। चूकिं मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 3, 4, 5 तथा अन्य किलों की गैरमुमकिन खाला की भूमि का मुरब्बा नम्बर 52/17 है, जो फूलचन्द पुत्र परसराम के खाते की भूमि है। इस कारण वादी उक्त 4 बिस्वों को गैरमुमकिन मुरब्बा नम्बर 52/18 ही मानता था। जो अन्यत्र स्थित है। यही दिनांक वाद हेतुक है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 1 एम, पटवार हल्का फूसेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 1 व 2 की 2-2 बिस्वा भूमि जो वादी के खाता में अंकित नहीं है, उसका वादी को खातेदार घोषित किया जाकर वादी के संबधित राजस्व अभिलेखों में अंकित किया जावे।

2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 1030 दिनांक 15.05.2025 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक राजस्व ग्राम 1 एम, पटवार हल्का फूसेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 71/64 के मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 1, 2, 10, 11 की कुल 0.962 हैक्टेयर भूमि रामकिशन पुत्र मनीराम हिस्सा पूर्ण जाति कुम्हार साकिन देह खातेदार राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है। मिसल बन्दोबस्त में खाता संख्या 24 में मुरब्बा नम्बर 37 मनीराम वल्द सुरजाराम कौम कुम्हार साकिन देह खातेदार रिकॉर्ड दर्ज थी। इसी क्रम में हुकमन डिक्री नामान्तरण संख्या 106 दिनांक 06.02.1997 द्वारा उक्त रकबा का विभाजन किया गया। जिसमें मनीराम वल्द सुरजाराम जाति कुम्हार के पक्ष में 52/18 गैरमुमकिन खाला दर्ज किया गया था। रामकिशन वल्द मनीराम के पक्ष में उक्त रकबा दर्ज नहीं किया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

सहायक कलक्टर एव पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 1 एम, पटवार हल्का फूसेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 71/64 की प्रति, राजस्व ग्राम 1 एम, पटवार हल्का फूसेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 41/38 की प्रति, राजस्व ग्राम 1 एम के सम्वत 2004 की जमाबन्दी प्रति, राजस्व ग्राम 1 एम की मिसल बन्दोबस्त जमाबन्दी सम्वत 2027 ता 2036 की प्रति, राजस्व ग्राम 1 एम, पटवार हल्का फूसेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 131/72 की प्रति, चक 1 एम के इन्तकाल संख्या 106 दिनांक 06.02.1997 की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है, कि वादी के द्वारा राजस्व ग्राम 1 एम, पटवार हल्का फूसेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 1 व 2 की 2-2 बिस्वा भूमि जो वादी के खाता में अंकित नहीं है, उसका खातेदार घोषित किए जाने बाबत निवेदन किया गया है। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक राजस्व ग्राम 1 एम, पटवार हल्का फूसेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 71/64 के मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 1, 2, 10, 11 की कुल 0.962 हैक्टेयर भूमि रामकिशन पुत्र मनीराम हिस्सा पूर्ण जाति कुम्हार साकिन देह खातेदार राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है। मिसल बन्दोबस्त में खाता संख्या 24 में मुरब्बा नम्बर 37 मनीराम वल्द सुरजाराम कौम कुम्हार साकिन देह खातेदार रिकॉर्ड दर्ज थी। इसी क्रम में हुकमन डिक्री नामान्तरण संख्या 106 दिनांक 06.02.1997 द्वारा उक्त रकबा का विभाजन किया गया। जिसमें मनीराम वल्द सुरजाराम जाति कुम्हार के पक्ष में 52/18 गैरमुमकिन खाला दर्ज किया गया था। रामकिशन वल्द मनीराम के पक्ष में उक्त रकबा दर्ज नहीं किया गया। लिहाजा वादी के द्वारा राजस्व ग्राम 1 एम, पटवार हल्का फूसेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 71/64 में मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 1, 2 के 2-2 बिस्वा कुल 4 बिस्वा भूमि को मुरब्बा नम्बर 52/18 की गैरमुमकिन खाला भूमि मानते हुए दर्ज किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। परन्तु न्यायालय हाजा को गैरमुमकिन खाला के संबध में वाद सुनने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। वादी गैरमुमकिन खाला के संबध में अनुतोष हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने के लिए स्वतंत्र है। अतः वाद पत्र वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादी के द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, शपथ पत्र के आधार पर अस्वीकार/खारिज किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136- भू-राजस्व अधिनियम-1956 भली-भांति साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 11.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

<u>अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई</u>

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

रामकिशन बनाम राजस्थान सरकार

धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट

मुकदमा नम्बर **210/2024**

निर्णय दिनांक :- 11.09.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री गौरव बिश्नोई उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136- भू-राजस्व अधिनियम-1956 भली-भांति साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है।

आज दिनांक 11.09.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
सहायक उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर) श्रीगंगानगर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	योग	**00**	**00**

{सहायक कलक्टर एवं पदेन
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)